न्यायालयः अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम),
न्याय कक्ष सं०–01, बुलन्दशहर।
पीठासीनः विनीत चौधरी (एच.जे.एस.)
(J.O.Code 6365)
UPBU010105132026

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-285 सन् 2026

कृष्णवीर सिन्धु एडवोकेट पुत्र स्व० महाराज सिंह, निवासी ग्राम लाडपुर, थाना बी०बी० नगर, जिला बुलन्दशहर।

.....निगरानीकर्ता।

-बनाम-

1- उत्तर प्रदेश राज्य
2- एस०आई० शुभम गंगवाल
3- एस०आई० संजय कुमार
4- हेड कॉ० आदेश कुमार,
5- कॉ० प्रियांशु
समस्त हाल तैनात थाना बी०बी० नगर, जिला बुलन्दशहर।

.....विपक्षीगण।

-::निर्णय::-

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता कृष्णवीर सिन्धु एडवोकेट की ओर से मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा-438, 440 बी.एन.एस.एस., थाना-बी०बी० नगर, जिला बुलन्दशहर में विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-562/2026, कृष्णवीर बनाम एस.आई. शुभम आदि, अ०धारा-175(3) बी.एन.एस.एस. में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित-23.07.2026 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र अ०धारा-175(3) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।

2. प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि-

निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-175(3) बी.एन.एस.एस. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि, वह कचहरी बुलन्दशहर में वकालत करता है और रोजाना अपने गाँव से अपनी रेनोल्ट क्विड कार नं०यू०पी०-13 बी.बी.-2005 से आता-जाता है। दिनांक-25.03.2026 को वह बुलन्दशहर से अपने गाँव जा रहा था और उसके साथ महेश पायल एडवोकेट व दलेल सिंह एडवोकेट कलैक्ट्रेट कोर्ट बुलन्दशहर भी उसकी बीमार पत्नी को देखने जा रहे थे। समय करीब 8.10 बजे शाम बी०बी० नगर चौराहे पर थाना बी०बी०नगर पर तैनात एस०आई० शुभम गंगवाल व एस०आई० संजय कुमार व हैड कां० आदेश कुमार व कां० प्रियांशू खड़े मिले और उसकी गाड़ी को रोक लिया। उसने आर०सी० के अलावा समस्त कागजात दिखा दिये और कहा कि नम्बर प्लेट से आर०सी० देख लो, गाड़ी उसके ही नाम है। इतना सुनते ही एस०आई० शुभम गंगवाल भड़क गया और कहा कि हमें कानून सिखाता

Digitally signed by VINEET CHAUDHARY
Date: 2026.08.19 16:16:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है, ये वकालत बुलन्दशहर कचहरी में चला। इसपर उसके व साथी अधिवक्तागण ने बदतमीजी करने को मना किया। इतने पर उक्त एस०आई० शुभम गंगवाल गाली-गलौच व हाथापाई करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और वह अनसुना कर अपने गाँव को चल दिया। तभी उक्त चारों एक प्राइवेट कार से पीछे आये और ग्राम हिंगवाड़ा से करीब 300 मीटर पहले समय करीब 8.20 शाम उसकी कार को रोक लिया और उक्त सभी गाली गलौंच, हाथापाई और जान से मारने की धमकी देने लगे और उसकी तलाशी लेने लगे और शुभम गंगवाल ने उसकी जेब में रखे 10 हजार रूपये जबरदस्ती निकाल लिये और उसका फोन जबरदस्ती छीन लिया। उसने जब इसका विरोध किया, तो उसने अपने साथियों से कहा कि तुम इनके पास रहो और मैं देशी शराब लेकर आता हूँ। आज इसे वकालत सिखाकर ही रहूँगा और वह कार लेकर चला गया और कुछ देर बाद ही हमारे पास आ गया और उसकी गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें जबरन 10 पेटी शराब की रख दीं और उसको जबरदस्ती गाड़ी की डिग्गी के पास खड़ा करके वीडियोग्राफी करने लगा और गाड़ी के बोनिट के पास खड़ा करके भी वीडियोग्राफी की और उसको धमकी देते हुए यह कहा कि "यह कह कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में 10 पेटी शराब है।" ये सब घटना उसके साथी महेश पायल व दलेल सिंह एडवोकेट ने देखी और रास्ते में आने-जाने वाले लोगों ने भी देखी। उसके बाद तुरन्त वह गाड़ी को स्वयं चलाकर थाना बी०बी० नगर में ले गया और उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा अ०सं०-67/2026 धारा-207 एम०वी० एक्ट व 60/72 आबकारी अधिनियम का दर्ज करा दिया और उसे धारा-35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस भरकर छोड़ दिया और मोबाइल वापिस कर दिया और कहा कि अगर हमारी कहीं शिकायत की, तो तुझे अगली बार किसी झूठे संगीन अपराध में फँसा देंगे। उक्त लोगों ने उसके साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर झूठा मुकदमा कायम करा दिया। तब उस ने दिनांक-25.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से एस०एस०पी० महोदय बुलन्दशहर को व श्रीमान आई०जी० महोदय मेरठ व माननीय डी०जी०पी० महोदय लखनऊ को ई०मेल से शिकायत की व माननीय मुख्यमत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करायी और श्रीमान एस०एस०पी० महोदय बुलन्दशहर को उक्त लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति हेतु भी प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया। जिन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता की ओर से थानाध्यक्ष बी.बी.नगर को उसकी रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में एस.एस.पी. बुलन्दशहर को दिये गये शिकायती प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय डाक रसीद, आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 23.07.2026 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश से विक्षुब्ध होकर वर्तमान निगरानी इन आधारों पर प्रस्तुत की गई कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.07.2026 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। निगरानीकर्ता जनपद बुलन्दशहर में ही वरिष्ठ अधिवक्ता है एवं पिछले काफी वर्षों में जनपद बुलन्दशहर में सी-186 कलैक्ट्रेट में विधि व्यवसाय कर रहे हैं। निगरानीकर्ता प्रतिदिन की भांति अपने कार्यालय से काम खत्म करके अपनी गाड़ी क्विड रेनोल्ट सं-यू०पी०-13 बी.बी.-2005 से अपने घर दिनांक-25.03.2026 को अपने गांव लाडपुर वापिस जा रहा था क्योंकि उसकी

पत्नी बीमार चल रही थी। इसलिए उसके मित्र अधिवक्ता श्री महेश पायल एडवोकेट व श्री दलेल सिंह एडवोकेट, जो जनपद बुलन्दशहर में ही विधि व्यवसाय करते हैं, उसके साथ निगरानीकर्ता की गाड़ी में उसकी पत्नी को देखने जा रहे थे। वह जैसे ही समय करीब 8.10 बजे शाम बी०बी०नगर चौराहे पर पहुँचे, तो वहाँ पहले से तैनात एस०आई०शुभम गंगवाल व संजय कुमार व हैड कां० आदेश कुमार व कां० प्रियांशु खड़े मिले और उसकी गाड़ी को रोक लिया। उसने आर०सी० के अलावा सभी कागजात पुलिस कर्मचारीगण को दिखा दिये। क्योंकि उसके पास आर०सी० नहीं थी, तो उसने पुलिस कर्मचारीगण से कहा कि उसकी गाड़ी पर लगी नम्बर प्लेट से उसका स्टेटस चैक कर लो, उसने विपक्षी सं0-2 एस०आई० शुभम गंगवाल से कहा कि क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ तथा रोजाना अपनी इसी गाड़ी से अपने गांव से बुलन्दशहर कचहरी परिसर आता जाता हूँ। इसलिए आप हमें जाने दें, तो इसी बात पर विपक्षी सं0-2 व 3 उस पर भड़क गये और उससे कहा कि हमें कानूनी सिखाता है, अपनी वकालत बुलन्दशहर कचहरी में चलाना। जब उसके साथी अधिवक्तागण ने पुलिस कर्मचारीगण से बदतमीजी करने से मना किया, तो विपक्षी सं0-2 ता 5 ने एकराय होकर उसके व साथी अधिवक्ता के साथ गाली-गलौंच व मारपीट करनी शुरू कर दी और कहा कि चलो आज इनको वकालत सिखा देते हैं। उपरोक्त सभी पुलिस कर्मचारीगण उसके पीछे पीछे प्राइवेट कार से ग्राम हिंगवाड़ा से करीब 300 मीटर पहले समय करीब 8. 20 बजे शाम आये तथा उसकी कार को रोक लिया और सभी ने उसके साथ गाली गलौंच व जान से मारने की धमकी दी व मारपीट के दौरान विपक्षी सं०-2 शुभम गंगवाल ने उसकी जेब में रखे 10 हजार रू० भी निकाल लिये और उन्हीं पैसों से 10 पेटी शराब की खरीदकर उसकी गाड़ी में जबरदस्ती रख दीं तथा उसको जबरन गाडी के पास खड़ा करके निगरानीकर्ता की वीडियो बना ली और उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा अ०सं०-67/2026 धारा-207 एम०वी० एक्ट व धारा-60/72 आबकारी अधिनियम का दर्ज कर दिया और उसको धारा-35 (3) के नोटिस की तामील कराकर जमानत पर छोड़ दिया गया। उक्त घटना के संबंध में निगरानीकर्ता ने उपरोक्त विविध वाद न्यायालय में योजित किया था। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार आदेश पारित ना करके आलोच्य आदेश दिनांकित-23.07.2026 पारित कर परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। क्योंकि विपक्षीगण द्वारा एकराय मशवरा होकर उसके साथ मारपीट, गाली गलौंच एवं उसकी जेब से मारपीट के दौरान उसके 10 हजार रूपये निकालकर, उन्हीं पैसों से शराब खरीद कर, उसपर प्लान्ट कर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा योजित किये गये विविध वाद में विपक्षीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जानी आवश्यक है। विपक्षीगण द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध संज्ञेय अपराध में विवेचना कराना भी आवश्यक है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था 2024 जे०आई०सी०-99 इलाहाबाद रजीना बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2026 (1) जे०आई०सी०-118 सुप्रीम कोर्ट मौ० अफजल शरीफ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23.07.2026 को निरस्त किया जाये।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में कथन किया गया है कि, मामले के जो तथ्य हैं, वह पूर्ण तरीके से निगरानीकर्ता के संज्ञान में है, जिनको वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह कथन भी

आलोच्य आदेश में किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3)दं०प्र०सं० में वर्णित तथ्यों पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये आदेश पारित करना चाहिये और वह रूटिन रूप में पारित नहीं करना चाहिये।

5. दौरान निगरानी विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये जिनकी तामीला पत्रावली पर मौजूद है लेकिन उनकी ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक फौजदारी द्वारा मौखिक आपत्तियाँ की गई हैं। बहस में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक लोक अभियोजक फौजदारी उपस्थित हुये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एक ही घटना के संबंध में दो परस्पर विरोधाभासी कथानक उभयपक्षों की ओर से हैं। जहां निगरानीकर्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि समय 8.10 पर उसे उत्तरदाता संख्या-2 ता 5 द्वारा रोका गया जब वह अपनी गाड़ी से जा रहा था और दस हजार रूपये निकाल लिये गये तथा उसकी गाड़ी में जबरन 10 पेटी शराब रखकर वीडियोग्राफी करते हुये फर्जी बरामदगी दिखाई गई। वहीं दूसरे पक्ष का कथन यह है कि निगरानीकर्ता उक्त दिनांक को जा रहा था तो उसकी गाड़ी को रोक कर चेक किया गया। गाड़ी में 10 पेटी देशी शराब बरामद हुई जिसके संबध में मु०अ०सं०-67/2026, थाना स्याना पर पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 16.07.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि मामले में बरामदगी के आधार पर पंजीकृत मुकदमे में दिनांक 09.04.2026 को आरोपपत्र सं०-69/2026 प्रेषित किया जा चुका है और लगाये गये आरोप मिथ्या हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश के माध्यम से प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः यह देखना है कि क्या उक्त आदेश विधिनुसार पारित किया गया है तथा क्या मामले में विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं है**?**

8. यह सुस्थापित विधि है कि प्रार्थनापत्र अ०धारा-175(3)बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार प्राप्त होता है कि वह प्रार्थनापत्र को स्वीकार करे, निरस्त करे अथवा उसे परिवाद के रूप में दर्ज करें। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये किया जाना चाहिये। उभयपक्ष के विरोधाभासी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दोनों में से किसी एक पक्ष का ही आधार सत्य हो सकता है। मामले की परिस्थितियों में दोनों पक्षों के आधार सत्य नहीं हो सकते हैं। अतः यदि पुलिस आख्या के अनुसार देखा जाये तो प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किया जाना चाहिये था और यदि उक्त आख्या पर यदि विश्वास नहीं किया जाये तो मामले में ऐसे तथ्य शामिल हैं जिन्हें कि निगरानीकर्ता स्वयं साबित नहीं कर सकता है। निगरानीकर्ता की ओर से यह कथन प्रार्थनापत्र में किया गया है कि घटना के समय उसके साथ महेश पायल व दलेल सिंह एडवोकेट भी मौजूद थे जो उसकी बीमार पत्नी को देखने साथ जा रहे थे। उपरोक्त दोनों व्यक्ति मु०अ०सं०-67/2026 के फर्द के अनुसार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, न ही उनकी मौजूदगी का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी में किया गया है। अतः उन दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति भी विवेचना का विषय है कि वह घटना के समय मौजूद थे अथवा नहीं। निगरानीकर्ता द्वारा यह कथन भी किया गया है कि उसकी जेब में रखे 10 हजार रूपये निकाल लिये गये जबकि फर्द बरामदगी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि निगरानीकर्ता की जामातलाशी से कोई पैसा बरामद हुआ हो। अतः यह

बरामदगी का प्रश्न है जो निगरानीकर्ता स्वयं नहीं कर सकता है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन में समस्त तथ्य ऐसे नहीं है जिन्हें वह स्वयं साबित कर सके तथा बरामदगी का प्रश्न भी निहित है जो कि प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नहीं की जा सकती। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने में निहित क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो कि विधि की दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:<u>आदेश:</u>–

दाण्डिक निगरानी संख्या–285/2026 **स्वीकार** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–562/2026, कृष्णवीर बनाम एस.आई. शुभम आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 23.07.2026 अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सुनकर निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के आलोक में पुनः विधिनुसार आदेश पारित करें।

इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए तथा निगरानी पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये। निगरानीकर्ता/प्रार्थी दिनांक 29.08.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

दिनांक-19.08.2026

(विनीत चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त पॉक्सो न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या-01, बुलन्दशहर।
J.O.Code-U.P 6365

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-19.08.2026

steno/Anoop

(विनीत चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त पोक्सो न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या-01, बुलन्दशहर।
J.O.Code-U.P 6365